

(2)

आदेश

अतः तहसीलदार मेंहनगर की आख्या दिनांक 27-12-2020 को स्वीकार करते हुए मौजा-घिनहापुर के गाटा संख्या-186 रकबा-0.8757 हे० यानि रकबा 875.70 वर्गमीटर भूमि में से 875.70 वर्गमी० जो सूर्या इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, ग्राम-घिनहापुर पोस्ट-गोपालपुर, तहसील-मेंहनगर, जिला-आजमगढ़ (उ०प्र०) के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा-143 के अन्तर्गत अकृषित किया जाता है तथा उसे रूपया 35.20 के मालगुजारी में से मुक्त किया जाता है। परगना उक्त बरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्य-प्रतिलिपि ह्यामाप्रति

दिनांक:- 27-12-2020

मिलानकर्ता - 3

कुल शब्द सं० 280




(प्रियंका प्रियदर्शनी)

उप जिलाधिकारी, मेंहनगर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांक:- 27-12-2020

पेशकार 


उप जिलाधिकारी

मेहनगर, आजमगढ़



(प्रियंका प्रियदर्शनी)

उप जिलाधिकारी, मेंहनगर



ATTESTED